न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी, जिला–झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार, आर0 जे0 एस0

निर्णय दिनांक – 13 मार्च, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 129/2019

सीआईएस नंबर – 129/2019.

सी एन आर नंबर – RJJH070001992019

राजस्थान राज्य बनाम राजू बावरिया

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –04/2019, पुलिस थाना खेतडी नगर
अपराध अन्तर्गत धारा– 380 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	पन्नालाल पुत्र सांवरमल कुमावत निवासी बडाउ पुलिस थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	राजू बावरिया पुत्र सीताराम, उम्र 30 साल निवासी कालोटा थाना खेतड़ी हाल डेरा बडाउ पुलिस थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं राज0
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री महेंद्र सिंह निर्वाण

B

अपराध की दिनांक	05.01.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	06.01.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	13.02.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	08.05.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	28.01.2020
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	13.03.2026
निर्णय दिनांक	13.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	13.03.2026

C
अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	राजू बावरिया	–	–	380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध		

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	पन्नालाल	प्रत्यक्षदर्शी गवाह व परिवादी
पी0डब्ल्यू 02	नवील अहमद	प्रत्यक्षदर्शी गवाह
पी0डब्ल्यू 03	भागीरथ	अन्य गवाह व घटनास्थल का नक्शा मौका
पी0डब्ल्यू 04	रामस्वरूप	प्रत्यक्षदर्शी गवाह
पी0डब्ल्यू 05	महीपाल	पुलिस गवाह व फर्द गिरफ्तारी राजू बावरिया
पी0डब्ल्यू 06	महेन्द्र	मालखाना इंचार्ज
पी0डब्ल्यू 07	सुरेश	पुलिस गवाह व फर्द गिरफ्तारी राजू बावरिया व तस्दीक घटना नक्शा मौका
पी0डब्ल्यू 8	अमरसिंह	पुलिस गवाह व घटनास्थल तस्दीक
पी0डब्ल्यू 09	अजीतसिंह	पुलिस गवाह व फर्द बरामदगी
पी0डब्ल्यू 10	धर्मवीर सिंह	पुलिस गवाह व अनुसंधानकर्ता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी–03	घटनास्थल का नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी–04	फर्द गिरफ्तारी राजू बावरिया
05	प्रदर्श पी–05 व 5ए	असल मालखाना रजिस्टर व प्रमाणित प्रति
06	प्रदर्श पी–06	तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका
07	प्रदर्श पी–07	फर्द बरामदगी व जप्ती सोलर बैट्री
08	प्रदर्श पी–08	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
09	प्रदर्श पी–09	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तेला
10	प्रदर्श पी–10	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तेला

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

:: निर्णय :: **दिनांक 13 मार्च 2026**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी पन्नालाल पुत्र सांवरमल कुमावत निवासी बडाउ पुलिस थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं ने एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरा कुम्हारो की ढाणी रोड पर मुर्गी फार्म है। कल दिनांक 05.01.2019 को रात 7.30 बजे के लगभग मेरे मुर्गी फार्म से राजू बावरिया को बैट्री चोरी करके ले जाते हुए रामस्वरूप कुमावत व नविल अहमद ने देखा है। जिसने मुझे आकर बताया मैंने मुर्गी फार्म पर जाकर देखा तो बैट्री नहीं मिली। बैटी को राजू बावरिया चोरी करके ले गया। इसके पहले करीब 5–7 दिन पहले रामस्वरूप के मुर्गी फार्म से भी बैट्री राजू बावरिया चोरी करके ले गया जिसको भी लोगों ने ले जाते देखा है इत्यादि।

02. इस पर अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना खेतडीनगर में धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2019 दर्ज की गई व अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त राजू बावरिया के विरूद्ध धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप प्रमाणित मानते हुए दिनांक 13.02.2019 को चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियुक्त को दिनांक 08.05.2019 को अपराध धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन–समझकर अपराध से इंकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये **मौखिक साक्ष्य** में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. साक्ष्य अभियोजन पूर्ण होने पर अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिए गए, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

06. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त गवाहो द्वारा घटना की ताईद की गई है एवं अभियुक्त

के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

07. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा कोई चोरी करते हुए नहीं देखना कथन किया है। प्रत्यक्षदर्शी गवाह के कथनों में भारी विरोधाभास है। साधारणतया शाम को कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता। प्रत्यक्षदर्शी गवाह के घटनास्थल के आस–पास मकान एवं खेत नहीं है। इसलिए बरवक्त घटना उनकी उपस्थिति संदेहास्पद है। बरामदशुदा बैट्री की पहचान साबित नहीं है। गवाह के कथनों में भारी विरोधाभास है। बरामदगी स्थल खुला स्थान है तथा बरामदगी स्थल पर अभियुक्त का कब्जा हो यह भी साबित नहीं है। अत : अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

08. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.01.2019 को समय रात्रि करीब 07.30 या उसके लगभग वाके मौजा ग्राम बड़ाउ, कुम्हारों की ढाणी रोड पर परिवादी के मुर्गी फार्म पर बैट्री थी, जिसको परिवादी की सहमति बिना बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी कारित की ?

(2) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

09. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहान परीक्षित करवाए गए है, जिसमें गवाह पी0डब्ल्यू 01 पन्नालाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05. 01.19 को शाम को साढे सात बजे के लगभग की बात है। मेरे पास कुम्हारो की ढाणी में बड़ाउ में एक मुर्गी फार्म था। मुर्गी फार्म से राजु बावरिया एक बड़ी बैट्री चोरी करके ले गया बैट्री चोबिस प्लेट की है। रामस्वरूप व नवीन ने राजु बावरिया को चारी करते हुए देखा था उन्होने ही मुझे इस घटना के बारे में बताया था। इस घटना से पाच–सात दिन पहले रामस्वरूप की मुर्गी फार्म हाउस से भी राजू बावरिया ने बैट्री चुराई थी। इस घटना की पुलिस थाना खेतड़ीनगर में रिपोर्ट मैने प्रदर्श एक दी थी जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है पुलिस ने मेरे सामने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह कथन किया है कि यह कहना सही है कि मैने यह घटना होते हुए नहीं देखी। मेरे गांव के रामस्वरूप व नवीन ने मुझे बताया तब मुझे पता चला की चोरी हुई हैं। मै घटना स्थल पर पैदल चलकर पांच–सात मिनट में चला गया था। मुर्गी फॉर्म खेत में बना हुआ है खेत में मुर्गी फॉर्म में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। मेरे खेत में मेरे अलावा अन्य व्यक्ति भी आसानी से आज जा सकते हैं। जब मै घटना स्थल पर पहुचा तब रामस्वरूप व नवीन ही थे और कोई नहीं था। मैने अपनी प्रदर्श पी 01 में पांच–सात दिन पहले रामस्वरूप के मुर्गी फॉर्म से बैट्री चोरी होना लिखवाया है वो भी लोगो के बताएनुसार ही लिखवाया है मैने स्वय घटना नहीं देखी हैं। यह कहना सही है कि ना तो मैने घटना होते हुए देखा ना ही मैने चोरी होते हुए देखा ना ही मैने चोर को देखा। रामस्वरूप और नवीन के कहने पर ही मैने मुलजिम का नाम बताया हैं।

10. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 02 नवील अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.01.2019 को मैं और रामस्वरूप दोनो पन्नालाल के मुर्गी फार्म पर शाम को गये हुए थे। वहां पर राजु बावरिया पन्नालाल के मुर्गी फार्म पर बैट्री चोरी करके ले जा रहा था। जिस हमने पहचान लिया । हमे देख कर राजु अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया जिसको हमने काफी तलाश किया जो नहीं मिला। चोरी की सूचना हमने पन्नालाल को दी। फिर वहां पर मौके पर पन्नालाल आया। फिर तीनो ने हमने राजु की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया था जो मेरे सामने बनाया था जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह कथन किया है कि **जब राजू बावरिया चोरी कर रहा था तब हम पन्नालाल के मुर्गी फार्म पर पहुंच गये थे। मुर्गी फार्म खूल्ला है और जाल लगा हुआ है लेकिन पर्दे नहीं लगे है।** जब हम पहुंचे तो रात के साढे सात बज रहे थे। यह जनवरी का माह था। सर्दीयो का समय था। वहां पर रात को कोई नहीं था बस मै और रामस्वरूप ही थे। यह कहना गलत है कि मुलजिम को हमारे पहुंचे से पहले चला गया हो। **अज खुद कहा की वह बैट्री हमारे सामने ही चुरा के लेकर गया था। हमने मुलजिम को 50 मीटर दूर से देख लिया था।** मेरा राजु बावरिया से पहले से कोई विवाद नहीं हैं और ना ही कोई केस चल रहा हैं। **मैं मुलजिम को पहले से जानता हूं।**

11. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 03 भागीरथ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया था जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका पन्नालाल की बैट्री चोरी होने बाबत बनाया था।

दौराने जिरह कथन किया है कि प्रदर्श पी 03 पुलिस वालों ने बनाया था जो फार्म पर बनाया था। नक्शे में क्या लिखा मैंने नहीं पढा। मुझे नहीं बताया कि नक्शे में क्या लिखा था। मैंने तो केवल हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने पर किये थे।

12. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 04 रामस्वरूप ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.01.2019 को शाम के 07–07.30 बजे की बात है। मैं और नवीन पन्नालाल के मुर्गी फार्म की तरफ जा रहे थे तब हमने देखा कि मुर्गी फार्म में राजू जाली तोडकर के बैट्री ले जा रहा था। रात का समय था हमने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। मैं राजू बावरिया को अच्छी तरह से पहचानता हूं। बाद में हमने जाकर के पन्नालाल को बताया कि तेरे मुर्गी फार्म से राजू बावरिया बैट्री चोरी करके ले गया। राजू बावरिया का ससुराल हमारे गांव में है।

दौराने जिरह कथन किया है कि यह कहना सही है कि जनवरी माह में सर्दी पडती है। यह कहना सही है कि घटना के समय अंधेरा हो रहा था। चोरी करने वाला हमारे से करीब 500 मीटर दूरी पर था। यह कहना चोरी करने वाले को मैंने पीछे से देखा था। मैंने मुर्गी फार्म में बैट्री उसी दिन भी देखी थी और पहले भी देखी थी। मैं नहीं बता सकता कि बैट्री कौनसी कंपनी की थी और कितने वाट की थी।

13. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 05 महीपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.01.2019 को मैं पुलिस थाना खेतडी नगर में सिपाही के पद पर तैनात था। उस रोज धर्मवीर सिंह एच सी ने मेरे व सुरेश कुमार के समक्ष मुलजिम राजू बावरिया को जरिये फर्द प्रदर्श पी04 गिरफ्तार किया था। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम को थाने से गिरफ्तार किया था। उससे पहले मुलजिम कहां था मुझे नहीं पता, मैंने तो मुलजिम को थाने में ही देखा था। मुलजिम ने उस समय कैसे कपडे पहने थे मुझे नहीं पता।

14. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 06 महेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.01.19 को मैं पुलिस थाना खेतड़ी में मालखाना के इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस रोज धर्मवीर अनुसंधान अधिकारी एच सी नम्बर 30 ने उक्त प्रकरण में जप्तशुदा वजहसबूत एक बैट्री सोलर 12 वोलट इस्तेमाली पुरानी रंग सफेद व लाल मुझे दी थी जिसको मैने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक सख्या 02 पर इन्द्राज कर मालखाना में सुरक्षित रखा। असल मारखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी मेरे द्वारा किया गया इन्द्राज अंकित है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 05ए है।

दौराने जिरह कथन किया है कि बैट्री का वजन कितना था मुझे नहीं पता और मालखाना में रखते समय मैने वजन किया भी नहीं था लेकिन यह 12 वोल्ट की थी। बेट्री पर स्पेशल मार्का लगा हा व किस कम्पनी की हो तो मुझे ध्यान नहीं है। यह बेट्री पुरानी थी। इस बेट्री का बिल इसके साथ संलग्न नहीं था। इसकी लम्बाई और चौड़ाई का मुझे ध्यान नहीं है। इस बेट्री पर कुछ नम्बर लिखे हो तो मुझे ध्यान नहीं है। ऐसी बेट्री आसानी से बजार में मिल सकती है। मालखाना में जमा करने का समय मुझे आज ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि आईओ ने जैसी मुझे बेट्री दी थी मैने उसे वैसी ही मालखाने में जमा कर दी थी।

15. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 07 सुरेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाक 08.01.2019 को मै पुलिस थाना खेतड़ीनगर में कान्सटेबल के पद पर तैनात था। उस रोज धर्मवीर एचसी ने मेरे व महिपाल कान्सटेबल के समक्ष मुलजिम राजू बावरिया को थाना परिसर पर जरिए फर्द प्रदर्श पी 04 गिरफतार किया था। जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम राजू ने अपनी इत्तलानुसार धर्मवीर एचसी को घटना स्थल तस्दीक करवाया था। तस्दीक घटना नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह कथन किया है कि यह मेरे सामने तो नहीं आया था। उस दिन सुबह से गिरफतारी तक मुलजिम मेरे सामने नहीं आया था। मुलजिम की गिरफतारी की सूचना उसके घरवालो में से किस परिजन को दी मै नहीं बता सकता हू और मेरे सामने तो गिरफतारी की सूचना नहीं दी गई थी। मेरे सामने मुलजिम ने चोरी हुआ समान बेट्री बरामद करवाने की सूचना धर्मवीर को दी थी और अनुसंधान अधिकारी ने उस सूचना को अंकित कर लिया था और यह सूचना सवा सात बजे शाम को उसी समय दी थी और उसी समय इत्तेला तैयार कर ली थी। यह सही है कि जब हम गये तब मुर्गी फॉर्म पर लोग काम रहे थे वहां पर दो तीन आदमी मौजूद थे। आई ओ ने उन लोगो के हस्ताक्षर नहीं करवाये। उस समय उन लोगो से आई ओ ने पूछताछ की थी और उनके बयान उसी समय दर्ज किये थे बाद में गवाह ने कंहा की बयान नहीं लिखे थे बयान तो पहले ही ले लिये थे उस दिन तो सिर्फ पूछताछ की थी।

16. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 08 अमरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.01.19 को मै पुलिस थाना खेतडीनगर पर कान्सटेबल के पद पर तैनात था उस रोज धर्मवीर एचसी ने मेरे व सुरेश कान्सटेबल के समक्ष मुलजिम राजू की निशादेही से घटना स्थल तस्दीक करवाया था। तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 10.01.2019 को मुलजिम राजू बावरिया ने अपनी इत्तलानुसार धर्मवीर एचसी को खुद के डेरे से एक सोलर बैट्री मेरे व अजीत कान्सटेबल के समक्ष बरामद करवाई थी। फर्द

बरामबदी व जप्ती सोलर बैट्री प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह कथन किया है कि मै यह भी नहीं बता सकता हू कि मुलजिम ने कब इत्तला दी थी। मुलजिम ने क्या इत्तला दी थी मै यह भी नही बता सकता हूं। आई ओ ने भी मुझे इत्तला के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जब मै थाने से रवाना हुआ तब मुझे मुलजिम द्वारा दी गई इत्तला के बारे में आई ओ ने जानकारी दी थी। आई ओ ने मुझे यह बता दिया था कि कहा पर चलाना है और क्या कार्यवाही करनी है। यह सही है कि बरामदगी स्थल खुला स्थाना है। यह सही है कि बरामदगी स्थल पर कोई भी आसानी से आ जा सकता है। यह सही है कि वहां पर आस पास खेत है और वहां पर उस समय लोग खेत कास्त कर रहे थे। आस पडौस के लोगो को बुलाया गया था और वो लोग आये भी थे लेकिन उन्होने साईन करने से मना कर दिया था वहां पर कौन कौन लोग आये थे मै नहीं बता सकता हूं। वो लोग वहीं पर नहीं रूके रहे थे वो लोग चले गये थे उन लोगो के सामने कोई बरामदगी नहीं की थी। आई ओ ने उन लोगो को नोटिस दिया हो तो मुझे पता नहीं है। फर्द बरामगदी प्रदर्श पी 7 व 08 पर इस बाबत नोट डाला हो कि इन लोगो को बुलाया हो उन्होने ने साईन करने से मना कर दिया हो इस बारे में मुझे पता नहीं है। यह सही है कि मेरे सामने बरामदगी वाले दिन बरामगदी स्थल के मालिकाना हक बाबत ग्राम पंचायत के सरंपच, ग्राम सेवक, व पटवारी को स्थल तस्दीक के बाबत किसी को नहीं बुलाया गया और ना ही उन लोगो से मेरे सामने किसी प्रकार की पूछताछ की। यह कहना गलत है कि बरामदगी स्थल पर मै दिनांक 09.01.19 को गया हो। प्रदर्श पी 06 दिनांक 09.01.19 को तैयार किया गया था। उस समय मै वहां पर गया था। प्रदर्श पी 06 और प्रदर्श पी 7 की दूरी कितनी है मुझे ध्यान नहीं है। दोनो जगह आपस में दिखाई नहीं देती है। मैं दूरी अंदाजे से भी नहीं बता सकता हूं। प्रदर्श पी 6 व प्रदर्श पी 7 के बीच में पैदल जाये तो पांच–सात मिनट का रास्ता था। प्रदर्श पी 7 वाली जगह पर जाने से पहले प्रदर्श पी 6 आता है और उसके बाद में प्रदर्श पी 7 का स्थल आता है। प्रदर्श पी 6 के बारे में भी आईओ ने मेरे सामने स्थल के स्वामित्व के बारे में किसी सरंपच से तस्दीक नहीं करवाया था। प्रदर्श पी 6 बनाया उस समय उन लोगो को बुलाया था लेकिन वो आये नहीं।

17. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 09 अजीतसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.01.2019 को मैं पुलिस थाना खेतड़ीनगर पर कान्सटेबल के पद पर तैनात था। उस रोज धर्मवीर एचसी को मुलजिम राजु बावरिया ने अपनी इत्तला के अनुसार अपने डेरे से सामान से एक बेट्री जिसका रंग लाल व काले रंग की बरामद करवाई थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 07 है

जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह कथन किया है कि आईओ ने मुझे कंहा था कि मुलजिम से बरामदगी करेगे जिसके लिए चलना है। मेरे साथ अमरसिंह और मुलजिम गये थे। हम प्राईवेट वाहन से गये थे। प्राइवेट वाहन क्या था आज मुझे ध्यान नहीं है। प्राईवेट किसका था यह भी मुझे ध्यान नहीं है। जिस वाहन से हम गये थे और उसी वाहन से हम वापिस थाने पर आये थे। वापिस थाने पर हम कितने बजे पहुंचे ध्यान नहीं है। थाने पर करीबन तीन–चार बजे के लगभग पहुंचे थे। मैं आज नहीं बता सकता हूं कि बरामदगी स्थल के आस पास किस किस खेत थे मुझे नहीं पता। आईओ ने खेत वालो को किसी को बुलाया या नहीं इस बारे में मै नहीं बता सकता हूं। यह सही है कि आई ओ ने मेरे सामने किसी गांव वालो या स्वतंत्र गवाह को बुलाने के लिए किसी को नहीं भेजा। आईओ ने स्वतंत्र गवाह बुलाने का प्रयास किया या नहीं इस बारे में मै नही बता सकता हूं। यह सही है कि मेरे सामने आईओ ने फर्द बरामदगी, नक्शा मौका व हालात मौका में किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र गवाह बाबत कोई नोट अंकित नहीं किया। यह सही है कि बरामदगी स्थल खूला स्थल था और वहा पर कोई भी आ जा सकता है।

18. इसी प्रकार पीडब्ल्यू 10 धर्मवीर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.19 को मैं पुलिस थाना खेतडीनगर में एच सी के पद पर तैनात था। उस रोज थानाहाजा का चार्ज सुरेंद्र शर्मा एएसआई के पास था। उस रोज परिवादी पन्नालाल ने उपस्थित थाना होकर सुरेंद्र शर्मा एएसआई के समक्ष तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी01 पेश की थी जिसकी पुश्त पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित की गई, ई से एफ सुरेंद्र शर्मा एएसआई के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर में साथी कर्मचारी होने की हैसियत से पहचानता हूं। तहरीरी के आधार पर एफ आई आर प्रदर्श पी02 चाक की गई, जिस पर सी से डी सुरेंद्र शर्मा एएसआई के हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे सुपुर्द की। मैंने गवाह पन्नालाल, रामस्वरूप, नबीन अहमद के बयान उनके कहे अनुसार लिखे। घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी03 है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। मुलजिम राजू को जरिये फर्द प्रदर्श पी04 गिरफ्तार किया जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। गिरफ्तारशदा मुलजिम ने अपनी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तेला प्रदर्श पी09 दी थी जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। मुलजिम ने अपनी इत्तेलानुसार घटनास्थल प्रदर्श पी06 तस्दीक कराया था जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। दिनांक 09.01.2018 गिरफ्तारशदा मुलजिम ने अपनी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम

की इत्तेला प्रदर्श पी10 दी थी जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। मुलजिम ने अपनी इत्तेलानुसार अपने तंबू डेरे में से एक सौलर बैट्री लाल व सफेद रंग की जरिये फर्द प्रदर्श पी07 बरामद करवाई थी। फर्द जप्ती प्रदर्श पी07 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं. एक्स स्थान पर मुलिजम की अंगूठा निशानी है, जी से एच परिवादी के हस्ताक्षर हैं। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी08 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर मुलिजम की अंगूठा निशानी है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी05ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान मैंने मुलजिम राजू बावरिया के विरूद्ध जुर्म धारा 380 भा दं सं में प्रमाणित मानते हुये पत्रावली किरण सिंह थानाधिकारी को सुपुर्द की जिन्होंने आरोप पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया।

दौराने जिरह कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में दर्शाइ गई जगह किसके नाम से है, उस बाबत कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये ना ही तस्दीक कराई। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 के आस–पड़ोस के खेत वालों के मैंने बयान नहीं लिये। नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 के गवाह भागीरथ व नवीन के वहां पर कोई खेत व मकान नहीं है। अज खुद कहा कि प्रदर्श पी 03 बनाया तब भागीरथ व नवीन वहां पर उपस्थित थे। यह कहना सही है कि प्रदश्र पी 08 बरामदगी स्थल खुली जगह है, जोहड़ है जहां कोई भी आ–जा सकता है। प्रदर्श पी 08 बनाया तब वहां पर राजू बावरिया का पिता सीताराम व छोटे बच्चे उपस्थित थे। तंबू राजू व उसके पिता सीताराम दोनों का है। तंबू राजू व सीताराम का है इस बाबत मुस्तगिस के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ की थी लेकिन उनके बयान मैंने नहीं लिये ना ही सरपंच के कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया ना ही तस्दीक करवाया। मुस्तगिस ने बैट्री का बिल पेश नहीं किया। बैट्री मुस्तगिस ने चिड़ावा से खरीदना बताया लेकिन किस दुकान से यह बैट्री खरीदी यह नहीं बताया। बैट्री खरीद बाबत मैंने चिड़ावा में पूछताछ नहीं की।

19. अभियोजन पक्ष की आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह पीडब्ल्यू 02 नवील अहमद एवं पीडब्ल्यू 04 रामस्वरूप है। उपरोक्त गवाहान द्वारा स्पष्ट कथन किया है कि परिवादी पन्नालाल के मुर्गी फार्म पर अभियुक्त द्वारा बैट्री चोरी की जा रही थी तथा उपरोक्त गवाहान द्वारा अभियुक्त की पहचान किया जाना भी कथन किया है। पीडब्ल्यू 02 नवील अहमद द्वारा अभियुक्त को पहले से जानना भी कथन किया है। इस प्रकार से उपरोक्त गवाहान द्वारा अभियुक्त को चोरी करते हुए देखना कथन किया है। पीडब्ल्यू 02 नवील अहमद की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जो उसकी मुख्य परीक्षा पर संदेह उत्पन्न करती हो।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवाहान की ताईद में पीडब्ल्यू 01 पन्नालाल, जो कि परिवादी है, द्वारा स्पष्ट कथन किया है कि पीडब्ल्यू 02 नवील अहमद व पीडब्ल्यू 04 रामस्वरूप द्वारा चोरी करते हुए देखना एवं घटना की जानकारी देना कथन किया है। उपरोक्त गवाहान के कथनों के आधार पर उसके द्वारा बैट्री चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाना उल्लेखित किया है। उपरोक्त गवाहान की ताईद पीडब्ल्यू 08 अमरसिंह, पीडब्ल्यू 09 अजीत सिंह द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बैट्री बरामद करना भी कथन किया है। यद्यपि अधिवक्ता अभियुक्त का ऐसा कोई तर्क नहीं है कि बरामदगी स्थल पर बैट्री बरामद नहीं हुई हो। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि बरामदगी स्थल पर अभियुक्त का कब्जा नहीं है। चूंकि बरामदशुदा बैट्री अभियुक्त की ईत्तला के आधार पर ही बरामदगी स्थल से बरामद हुई है तथा इस तथ्य का ज्ञान अभियुक्त को ही था कि बरामदशुदा स्थल पर बैट्री है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि बरामदशुदा बैट्री पर अभियुक्त का चैतन्यशील कब्जा न हो।

यह भी उल्लेखित है कि पीडब्ल्यू 02 नवील अहमद व पीडब्ल्यू 04 रामस्वरूप ने स्पष्ट कथन किया है कि परिवादी के मुर्गी फार्म से अभियुक्त द्वारा बैट्री चोरी कर ले जाते हुए उनके द्वारा देखा गया। चूंकि उपरोक्त गवाहान द्वारा अभियुक्त की स्पष्ट पहचान की है। यदि बरामदगी में किसी प्रकार की त्रुटि हो, तब भी यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि अभियुक्त द्वारा घटनास्थल मुर्गी फार्म से बैट्री चोरी की गई थी, जिसकी पुष्टि पीडब्ल्यू 01 पन्नालाल द्वारा भी की गई है तथा बरामदगी स्थल से बैट्री बरामद न हुई हो, ऐसा कोई तथ्य अधिसंभाव्य प्रबलता के आधार पर साबित नहीं है। जबकि अभियोजन पक्ष के गवाहान द्वारा स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त की दी गई ईत्तला के अनुसार ही बैट्री बरामद की। बरामदगी स्थल अभियुक्त का निवास स्थान न हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। बरामदशुदा बैट्री अभियुक्त की हो, ऐसा भी अभियुक्त ने कोई कथन नहीं किया है।

यद्यपि अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि बैट्री की पहचान साबित नहीं है। किंतु परिवादी द्वारा अपने मुर्गी फार्म से बैट्री चोरी होना कथन किया है तथा अभियुक्त से बैट्री बरामद होने का भी तथ्य पूर्ण रूप से साबित है तथा चोरी के शीघ्र पश्चात अभियुक्त के कब्जे से पुरानी इस्तेमाल बैट्री बरामद हुई, उपरोक्त बैट्री अभियुक्त की हो, ऐसा कोई तथ्य अभियुक्त द्वारा प्रकट नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 03 भागीरथ द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका स्वयं के सामने बनाया जाना कथन किया है एवं पीडब्ल्यू 05 महीपाल एवं पीडब्ल्यू 07 सुरेश द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना कथन किया है तथा पीडब्ल्यू 07 सुरेश द्वारा मुलजिम की इत्तेलानुसार घटनास्थल

तस्दीक करवाया जाना कथन किया है। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 06 महेन्द्र द्वारा बरामदशुदा बैट्री को मालखाने में सुरक्षित रखे जाने का कथन किया है।

इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 10 धर्मवीर सिंह जो कि अनुसंधान अधिकारी है, प्रकरण का अनुसंधान करना, गवाह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करना, घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका मुर्तिब करना, अभियुक्त को गिरफ्तार करना, उसकी इत्तेला के आधार पर चोरीशुदा बैट्री को बरामद करना, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करना तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित मानते हुए पत्रावली किरण सिंह थानाधिकारी को सुपुर्द करना कथन किया है।

इस प्रकार से अभियोजन पक्ष की आई साक्ष्य से यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि अभियुक्त द्व ारा बरवक्त घटना परिवादी की बैट्री चोरी की थी जो चोरी के शीघ्र पश्चात अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई थी। यद्यपि अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहान घटनास्थल के आस–पड़ौस कोई मकानात एवं खेत नहीं है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि यह आवश्यक नहीं है कि जब कोई व्यक्ति चोरी करते हुए किसी व्यक्ति को देखता है तो उस व्यक्ति के आस–पास मकान होने चाहिए। स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति घटनास्थल पर संदिग्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त घटना रात्रि की नहीं है, बल्कि शाम की है तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाह परिवादी घटनास्थल के ग्राम हल्का बड़ाउ के है। घटनास्थल बड़ाउ से कुम्हारों की ढाणी जाने वाली आम सड़क पर है। इसलिए स्वतंत्र साक्षी की बरवक्त घटना मौका पर उपस्थिति संदिग्ध नही है, बल्कि उपरोक्त गवाह द्वारा चोरी के तथ्यों की पूर्ण रूप से ताईद की गई है तथा एक स्वतंत्र एवं जागरूक नागरिक का दायित्व निभाते हुए चोरी की सूचना न केवल परिवादी को दी, बल्कि परिवादी को आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु उत्साहित भी किया।

20. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी की सहमति के बिना उसके मुर्गी फार्म में उसके कब्जे से बरामदशुदा बैट्री को हटाकर चोरी कारित की है।। लिहाजा अभियुक्त राजू बावरिया को धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

21. परिणामतः अभियुक्त राजू बावरिया पुत्र सीताराम, उम्र 30 साल निवासी कालोटा

थाना खेतड़ी हाल डेरा बडाउ पुलिस थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं राज0 को अपराध अन्तर्गत धारा **380 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं

सजा के बिन्दू पर

22. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है तथा परिवार की समस्त जिम्मेदारी अभियुक्त पर है। अतः अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

23. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

24. उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त द्वारा मुर्गी फार्म में से चोरी का अपराध कारित किया गया है तथा पूर्व में भी बैट्री चोरी करने का कथन तहरीरी रिपोर्ट में उल्लेखित है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा कारावास की सजा से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

25. एतद्द्वारा **राजू बावरिया पुत्र सीताराम, उम्र 30 साल निवासी कालोटा थाना खेतड़ी हाल डेरा बडाउ पुलिस थाना खेतडीनगर जिला झुन्झुनूं राज0** को आरोपित अपराध में दोषसिद्धि के तहत निम्नानुसार दण्डित किया जाता है–

26. अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्धि के लिये

तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं **पांच हजार रूपये (5000/– रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त **2 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

27. अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि मूल सजा में समायोजित होगी। अभियुक्त का सजा वारण्ट नियमानुसार तैयार किया जावे। अभियुक्त की ओर से नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतद्द्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते हैं। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति तुरन्त निःशुल्क दी जावे। बरामदशुदा बैट्री पूर्व में परिवादी द्वारा सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है, जो कि परिवादी के पास रहे।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं

28. निर्णय आज दिनांक **13 मार्च, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं